

न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) बालोतरा
पीठासीन अधिकारी : श्री नरेश सोनी, आर.ए.एस

दिनांक :- 29.12.21

क्रमांक / रीडर / 2021 / 864
भुकदमा नंबर 180 / 2021

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
1. मिश्रीमल पुत्र राणसिंह जाति राजपुरोहित निवासी मन्नावास वार्ड नम्बर 14 जसोल तहसील पचपदरा जिला बाडमेर ।		<ol style="list-style-type: none"> ढलाराम पुत्र नरसिंगाराम लूणाराम पुत्र नरसिंगाराम धेवरचंद पुत्र नरसिंगाराम कमलादेवी पत्नी नरसिंगाराम जाति माली निवासी बालोतरा मिसराराम पुत्र रतनाराम लिखमाराम पुत्र रतनाराम भगाराम पुत्र रतनाराम बाबुलाल पुत्र रतनाराम माकु बेवा रतनाराम जातियान कुम्हार दीपाराम पुत्र छोगाराम मकाराम पुत्र छोगाराम झम्मु बैवा गंगाराम राणछोडाराम पुत्र गंगाराम भगाराम पुत्र गंगाराम भंवरलाल पुत्र गंगाराम जाति माली सोमती बेवा नरसाराम गीगीदेवी बैवा चतराराम हीराराम पुत्र चतराराम पारस पुत्र चतराराम रमेश पुत्र चतराराम भुदराराम पुत्र कानाराम शंकरलाल पुत्र कानाराम अण्चीदेवी पत्नी कानाराम डायाराम पुत्र उम्मेदाराम केवलराम पुत्र उम्मेदाराम वालाराम पुत्र उम्मेदाराम सदाराम पुत्र उम्मेदाराम नेमाराम पुत्र उम्मेदाराम मीमोदेवी बैवा उम्मेदाराम सभी जातियान कुम्हार धर्माराम पुत्र तुलसाराम आईदानराम पुत्र तुलसाराम सायरी पत्नी तगाराम जाति घांची निवासी जसोल पुखराज पुत्र शंकरलाल जाति कुम्हार भोमाराम पुत्र शंकरलाल राधेश्याम पुत्र शंकरलाल पेमाराम पुत्र शंकरलाल ओम प्रकाश पुत्र शंकरलाल जाति कुम्हार नि0 जसोल शांतादेवी पत्नी खेतसिंह पुत्रवधु चुन्नीलाल जाति राजपुरोहित सभी निवासीयान बालोतरा राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी श्रीमान तहसीलदार पचपदरा ।



नरेश सोनी
न्यायालय सहायक कलेक्टर
बालोतरा (बाडमेर)

आदेश

दिनांक :-27.12.2021

उपर्युक्त प्रकरण मौजा जसोल पटवार क्षेत्र जसोल भू. अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र जसोल में खसरा नंबर 1460/523 रकबा 10-19 बीघा किस्म बा. दोयम खातेदार प्रार्थी मिश्रीमल के नाम से है व खसरा नंबर 1854/523 रकबा 10-19 बीघा विवादित भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार पचपदरा को मौका कमीशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को नोटिस/ पत्र के जरिये सूचित हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पथगढ़ी नहीं करने से बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनोंक 07.09.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारानकी उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावें कमीशनर शुल्क रूपर्य 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपर्य मात्र निर्धारित की जाती हैं, जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा किया जायेगा। पुलिस इमदाद की यदि आवश्यकता हो तो सम्बन्धित पुलिस थाना से प्राप्त करें।

(नरेश झा)
उपखण्ड अधिकारी,
बालोतरा (बाँझर)

क्रमांक /रीडर/ 2021/ 865

दिनांक :-29.12.21

1. तहसीलदार पचपदरा पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।



उपखण्ड अधिकारी,
बालोतरा
बाँझर (बाँझर)